लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695 001

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना
देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।"
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

हिंदी गृह पत्रिका
(28वां अंक)
(01 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम - 695001

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए 12 "प्र" की रूपरेखा और रणनीति तैयार की गई है, जिसके स्तंभ निम्नानुसार हैं :

- **प्रेरणा** (Inspiration and Motivation)
- **प्रोत्साहन** (Encouragement)
- **प्रेम** (Love and affection)
- **प्राइज़ अर्थात् पुरस्कार** (Rewards)
- **प्रशिक्षण** (Training)
- **प्रयोग** (Usage)
- **प्रचार** (Advocacy)
- **प्रसार** (Transmission)
- **प्रबंधन** (Administration and Management)
- **प्रमोशन (पदोन्नति)** (Promotion)
- **प्रतिबद्धता** (Commitment)
- **प्रयास** (Efforts)

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

श्रीमती जी सुधर्मिनी
प्रधान महालेखाकार

मुख्य संपादक

श्री एन वी मात्तच्चन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

परामर्शदात्री समिति

श्री बीजु जोसफ
वरिष्ठ उप महालेखाकार

श्री एम ए राजन
वरिष्ठ उप महालेखाकार

श्रीमती वल्सम्मा तोमस
उप महालेखाकार

संपादक मंडल

श्री बिजु पी सी
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

श्रीमती के आर रोहिणी
हिंदी अधिकारी, संपादक

संपादन सहयोग

श्रीमती एस संध्या
हिंदी अधिकारी

श्रीमती गेलीकृष्णा सी जी
हिंदी अधिकारी

श्रीमती निधि लक्ष्मी
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री भारत भूषण
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री प्रतीक कुमार
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री प्रभात रंजन
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सुश्री रीनु गुप्ता
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

रचनाकारों के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है । रचनाओं की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

संपादक मंडल

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	रचना	रचनाकार
1.	संरक्षक की कलम से.....	
2.	मुख्य संपादक की कलम से.....	
3.	संपादक मंडल की ओर से	
4.	12 "प्र" से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	
5.	राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	
6.	हिंदी के विख्यात साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं – सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉ रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र	
7.	नारी – कविता	रीनु गुप्ता, कनिष्ठ अनुवादक
8.	लॉकडाउन – कहानी	रोज़ अली, लेखाकार
9.	लॉकडाउन - कहानी	के शांति, सहायक लेखा अधिकारी
10.	हिंदी शिक्षण योजना – एक परिचय	
11.	सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश	
12.	सेवानिवृत्ति	
13.	आपकी प्रतिक्रिया	

संरक्षक की कलम से.....

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हमारे कार्यालय द्वारा ई-पत्रिका 'श्रुति' के 28वें अंक का "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है । राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए किया जा रहा यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है । मेरा विश्वास है कि यह पत्रिका हमारे कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

'श्रुति' पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

तिरुवनंतपुरम

सुधर्मिनीजी

(जी सुधर्मिनी)
प्रधान महालेखाकार

मुख्य संपादक की कलम से.....

यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कार्यालय की ई-पत्रिका 'श्रुति' के 28वां अंक प्रकाशित हो रहा है, जो राजभाषा विशेषांक है । इसके प्रकाशन का श्रेय यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को है । मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी यह पत्रिका अनवरत प्रगति की ओर अग्रसर होती रहेगी । मुझे पूरा विश्वास है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग में 'श्रुति' अहम भूमिका निभाएगी और कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी ।

पत्रिका के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ ।

तिरुवनंतपुरम

एन वी मात्तच्चन

(एन वी मात्तच्चन)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

संपादक मंडल की ओर से.....

हमारे कार्यालय की ई-पत्रिका 'श्रुति' के 28वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है । श्रुति के इस अंक में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन, हिंदी प्रशिक्षण आदि के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों व निदेशों का संकलन किया गया है । राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए '12 प्र' की रणनीति, हिंदी शिक्षण योजना का परिचय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, सरकारी काम-काज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश आदि इस अंक में शामिल किए गए हैं । हम आशा करते हैं कि उन पाठकों के लिए जो राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा ।

कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना ही इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है । यह हर्ष का विषय है कि अभी तक इसके 27 अंक प्रकाशित हो चुके हैं और इस कड़ी में राजभाषा हिंदी के सेवार्थ समर्पित 'श्रुति' का अठाईसवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है ।

पत्रिका के प्रकाशन में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हमें सहयोग मिला है उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं । आशा है कि भविष्य में भी उनका सहयोग मिलता रहेगा ।

अपने सक्रिय सुझावों से हमें अनुग्रहीत करनेवाले सभी पाठकों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे अपनी मूल्यवान प्रतिक्रियाओं से हमें अनुग्रहीत करेंगे ।

'श्रुति' का यह अंक पाठकों को पसंद आएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ यह पत्रिका आपके सम्मुख सादर समर्पित है ।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

संपादक मंडल

12 "प्र" से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

डॉ सुमीत जैरथ
सचिव, राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जानेवाले कार्यों की भाषा । राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है । संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था । **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है । राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है ।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे । देश की राजभाषा क्या हो **?**, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुँचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया ।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी ।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है ।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ '**आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए । भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए ।**' को ध्यान में रखते

हुए राजभाषा - हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है । केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के **"**आत्मनिर्भर भारत**"** **"**स्थानीय के लिए मुखर हो**" (Self Reliant India-Be vocal for local)** के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पूणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल **"**कंठस्थ**"** का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो ।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए **?,** इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले '**स्मृति-विज्ञान** '(Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है । विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी -

Democracy (लोकतंत्र)
Demand (मांग)
Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)
Deregulation (अविनियमन)
Descent (उत्पत्ति)
Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने '12 **प्र**' की रणनीति-रूपरेखा (**Frame work)** की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से हैः

1. **<u>प्रेरणा</u>** <u>(Inspiration and Motivation)</u> **:**

प्रेरणा का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि को प्रज्जवलित करने जैसा होता है । हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है । प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चत रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

2. **<u>प्रोत्साहन</u>** <u>(Encouragement)</u>

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है । राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊँचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है ।

3. **प्रेम** (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है । राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है ।

4. **प्राइज अर्थात पुरस्कार** (Rewards)

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं । राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकरियों /कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं । यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं । पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों केलिए प्रविष्टि आती है । जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल **"कंठस्थ"** के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया । इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया । इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज़ यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है ।

5. **प्रशिक्षण** (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है । पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैंकडों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं । कहते हैं- **"**आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है ।**"** कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी । समय- समय पर प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया । सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए - ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान-केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया । माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों **(Be Vocal for Local) NIC-Video Desk Top** पर माइग्रेट किया जा रहा है ।

6. **प्रयोग** (Usage)

यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (**If you do not use it, you lose it)** हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए । हिंदी का प्रयोग

अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें ।

7. **प्रचार** (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चत करना है । हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व-माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट-ब्रैंड राजदूत **(Brand Ambassadors)** के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है । हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई । संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था । उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था । उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था । आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है । तकनीक के इस युग में संसार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है ।

8. **प्रसार** (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्रथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रयोग बढाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है । **राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट** rajbhasha.gov.in **पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होनेवाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे ।** राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है । इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वीतीय योगदान दिया है ।

9. **प्रबंधन** (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊँचाईयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएँ और उपाय करें ।

10. **<u>प्रमोशन (पदोन्नति)</u>** (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं । समय-समय पर प्रोमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रुप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी ।

11. **<u>प्रतिबद्धता</u>** (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है । माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व **(Exemplary Leadership)** से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी **(Monitoring)** करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है **जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है** । अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है ।

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें ।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव(प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) **की बैठक करें ।**

12. **<u>प्रयास</u>** (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है । इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए । **यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती हैं कि -**

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है

मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है । विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी **(Information and Communication Technology)** का भी आश्रय ले रहा है । विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां **(Necessary Conditions)** हैं । इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां **(Sufficient Conditions)** हैं ।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें । हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह ' प्र ' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के '**एक भारत, श्रेष्ठ भारत**; **सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत**' के सपने को साकार करने में सफल होंगे ।

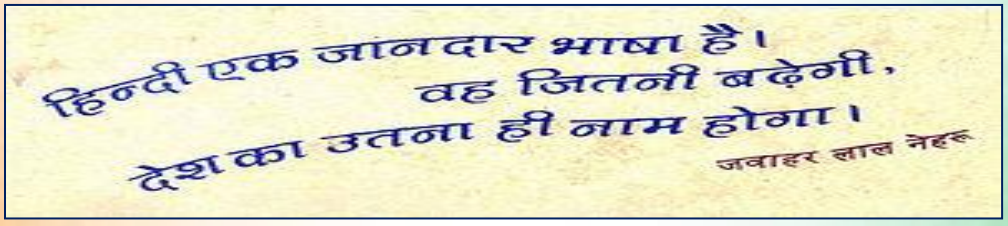

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1 - संघ की भाषा

अनुच्छेद 120
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग **17** में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद **348** के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

   परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210
विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग **17** में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद **348** के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

   परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो : परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस

प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले"पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले " पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343
संघ की राजभाषा

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

   परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

   (क) अंग्रेजी भाषा का, या

   (ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

   ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

   क. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

ख. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों,

ग. अनुच्छेद **348** में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड **(2)** के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड **(1)**के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद **343** में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड **(5)** में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346

एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347

किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 -उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

क. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

ख.

i. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(**1**) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी ।

3. खंड (**1**) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (**iv**) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 349
भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं ।

अध्याय 4 - विशेष निदेश

अनुच्छेद 350
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350

क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी--

1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा ।

अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

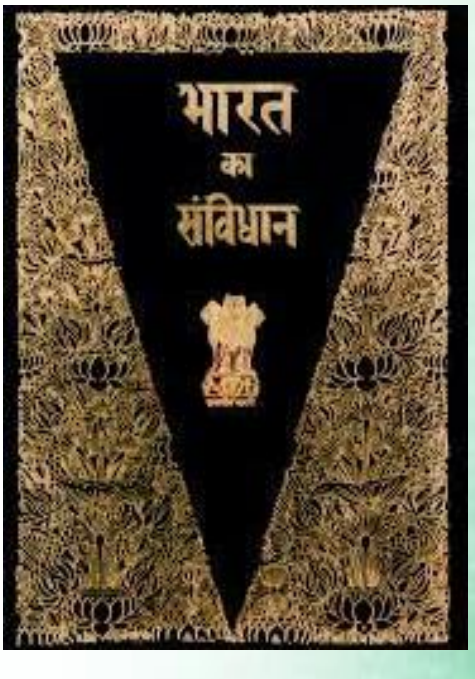

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।

हिंदी के विख्यात साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं

(राजभाषा विभाग की वेबसाइट से संकलित)

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

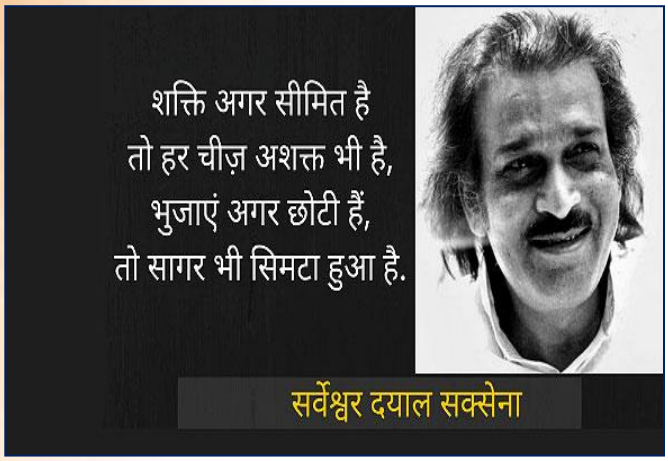

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में **15** सितंबर, **1927** को हुआ । उन्होंने एंग्लो-संस्कृत उच्च विश्वविद्यालय, बस्ती से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करके क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया । वर्ष **1949** में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की । उन्होंने आडिटर जनरल इलाहाबाद कार्यालय में काम भी किया । कुछ समय के लिए अध्यापन करने के पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे । वर्ष **1963** में 'दिनमान' साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक नियुक्त हुए । जीवन के अंतिम दिनों में बच्चों की साप्ताहिक पत्रिका 'पराग' के संपादक रहे ।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि थे । तीसरे सप्तक के अपने वक्तव्य में उनका कहना है, जो सत्य है उसे चुपचाप अपनाए रहने भर से काम नहीं चलेगा । बल्कि जो असत्य है, उसका विरोध भी करना पडेगा और मुंह खोलकर कहना पडेगा कि वह गलत है । 'उन्हें अपने आलोचकों की तीखी आलोचना सुननी पडी थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया और नयी कविता को एक नया कथ्य और नया रूप दिया । उन्होंने हमेशा नया लिखा । वे पहले के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चले । उन्होंने कविता के माध्यम से कहा-लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं/ हमें तो अपनी यात्रा से बने/ ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं ।'

उन्होंने पुराने बिंबों-प्रतीकों को भी तोडा और जीवन से नई बिंबों-प्रतीकों को लेकर अपनी कविता की रचना की । काव्य भाषा और शैली आदि के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रयोग किए । तत्कालीन समय के राजनीतिक-सामाजिक सांस्कृतिक संकट को संप्रेषणी बोलचाल की भाषा को ही अपनी काव्य भाषा बनाई । उन्होंने दलितों एवं निस्सहायों के मसीहा के रूप में युग जीवन की स्थिति का गहन अध्ययन किया । आत्मघुटन, विसंगति और जगपीडा उनकी कविता में

सर्वत्र बिखरी मिलती है । वे कहते हैं - दर्द यह किससे कहूं ?/ मुझसे विद्रोह करती हैं / मेरी ही परछाइयां / दर्द यह किससे कहूं ?

23 सितंबर,**1983** को उनका दिल्ली में निधन हुआ ।

रचनाएं	
निबंध संग्रह	चरचे और चरखे
उपन्यास	पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, सूने चौखटे
कहानी संग्रह	क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण, लडाई, कच्ची सडक, अंधेरे पर अंधेरा
नाटक	बकरी, कल किर भात आएगा, लडाई, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, हवालात, होरी धूम मच्यो री, पीली पत्तियां
बाल नाटक	लाख की नाक, भौं-भौं-खों-खों
बाल साहित्य	बतूता का जूता, मंहगू की टाई, अपना दाना, हाथी की पों, अनाप-शनाप, बुद्ध की करुणा
काव्य संग्रह	काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले

डॉ. रामकुमार वर्मा

हिंदी एकांकी के जनक तथा ऐतिहासिक नाटकों द्वारा लोक-रुचि को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले 'एकांकी सम्राट' डॉ. रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में **15** सितम्बर, **1905** को हुआ था । उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हुई । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद वे वहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए और विभागाध्यक्ष के पद पर पहुंचे ।

नाटककार और कवि के साथ-साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्येतिहास लेखक के रूप में हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । वे गर्व के साथ कहते थे, 'ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति का मेरुदंड-नैतिक मूल्यों में आस्था और विश्वास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है ।' उनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है । नवीन खोजों के आधार पर तर्क की जटिल समस्याओं से सुलझकर जो सत्य आलोचना के माध्यम से उनकी रचनाओं में कलमबद्ध हुआ है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है ।

डॉ. रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास प्रसिद्ध नाटकों में राष्ट्रनायकों के चरित्रों के सहारे प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को जीवित करके दर्शकों तथा पाठकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की है । उनके नाटकों के नायक प्राय: अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बलि देने को सदा तैयार रहते हैं ।

उनका निधन वर्ष **1990** में हुआ ।

रचनाएं	
एकांकी संग्रह	पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजतरश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इन्द्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी मदोत्सव, मयूर पंख, खट्टे-मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेण्डर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल ।
नाटक	विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न ।
काव्य	चित्ररेखा, तन्द्रकिरण, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, संकेत, एकलव्य, वीर हम्मीर, निशीथ, नूरजहां, जौहर, आकाशगंगा, उत्तरायण, कृतिका ।
आलोचना एवं साहित्येतिहास संपादन	कबीर का रहस्यवाद, इतिहास के स्वर, साहित्य समालोचना, साहित्यशास्त्र, अनुशीलन, समालोचना समुच्चय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ।

रामधारी सिंह "दिनकर"

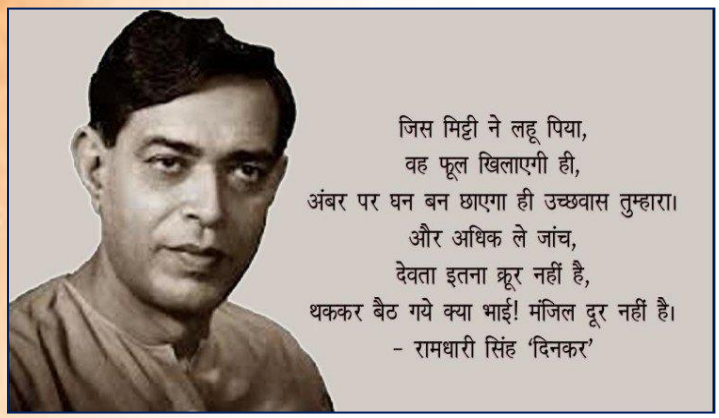

स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि रामधारी सिंह "दिनकर" आज़ादी के बाद राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनकी कविताओं में ही नहीं, बल्कि उनके निबंधों में भी राष्ट्र-चिंतन की झलक मिलती है । **23** सितंबर, **1908** को सिमरिया ग्राम, मुंगेर, बिहार में जन्मे दिनकर छायावादोत्तर-कवियों की पहली पीढी में से एक थे । मैट्रिक के बाद **1928** में दिनकर पटना आ गए और इतिहास में ऑनर्स के साथ **1932** में बी ए किया । अगले ही वर्ष एक नए खुले स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए । वर्ष **1934** में उन्होंने बिहार सरकार के अधीन सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया । वर्ष **1947** में वे बिहार सरकार में प्रचार विभाग के उप निदेशक और वर्ष **1950** में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हुए । वर्ष **1952** में वे राज्य सभा के सदस्य बने । वे **12** वर्षों तक सांसद रहे । फिर वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने । वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, दिनकर जी गैर-हिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे अधिक लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे । हरिवंशराय बच्चन ने एक बार दिनकर जी के बारे में कहा था कि उन्हें एक नहीं, चार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि उन्हें गद्य, पद्य भाषा और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अलग-अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना चाहिए ।

24 अप्रैल, **1974** को उनका देहांत हुआ ।

पुरस्कार एवं सम्मान	कुरुक्षेत्र पर साहित्यकार संसद (इलाहाबाद) पुरस्कार (**1948**), नागरी प्रचारिणी सभा का द्विवेदी पदक (दो बार), उर्वशी पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुरस्कार, नागरी प्रचारिणी सभा का रत्नाकर पुरस्कार, बलदेव दास पदक, संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार (**1960**), पद्मभूषण (**1959**) । वर्ष **1972** में काव्य नाटक उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
रचनाएं	
आलोचनात्मक ग्रंथ	मिट्टी की ओर, पंत-प्रसाद और मैथिलीशरण, काव्य की भूमिका, सांस्कृतिक ग्रंथ - संस्कृति के चार अध्याय, हमारी सांस्कृतिक

	एकता, भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय एकता ।
निबंध साहित्य	अर्धनारीश्वर, वट पीपल, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, विवाह की मुसीबतें, आधुनिक बोध ।
यात्रा साहित्य	देश विदेश, मेरी यात्राएं ।
डायरी साहित्य	दिनकर की डायरी ।
कथा और गद्य काव्य	उजली आग ।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र

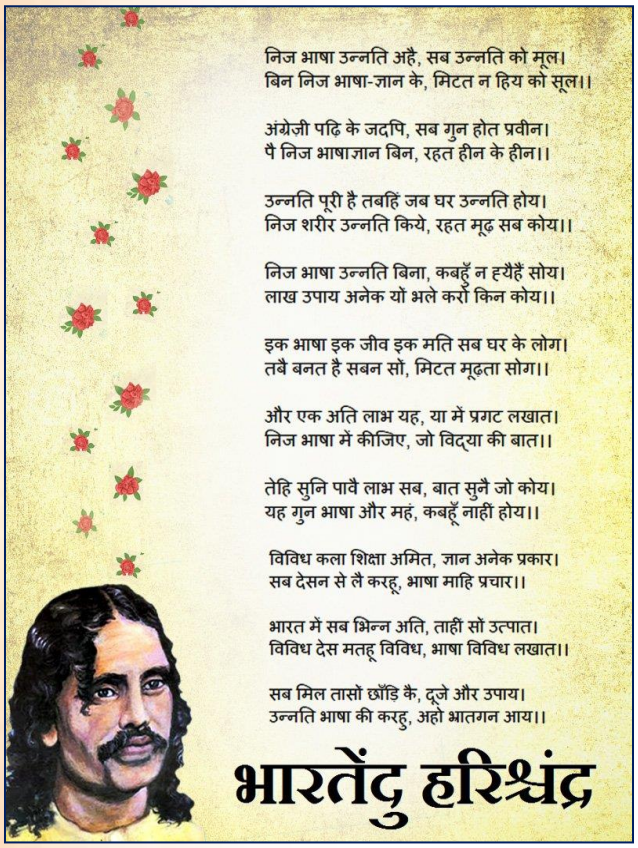

भारतेंदु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिंदी अर्थात् खड़ीबोली में लिखे साहित्य के उन्नायक माने जाते हैं । उन्होंने मात्र **28** वर्ष की छोटी-सी जीवन अवधि में ही समाज, भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए क्रांतिकारी योगदान दिया । उनका जन्म **9** सितंबर, **1850** में बनारस के अग्रवाल परिवार में हुआ था । वे औपचारिक रूप से शिक्षा पूरी नहीं कर पाए । लेकिन स्वाध्याय से उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने अपने प्रयास से बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि लगभग **20-25** भाषाएं सीख ली थी । उन्हें राग-रागिनियों का अच्छा ज्ञान था । वे एक अच्छे नर्तक भी थे ।

भारतेंदु हिंदी नाटकों के जन्मदाता थे । उन्होंने **17** वर्ष की आयु में अपना पहला नाटक "विद्यासुन्दर" लिखा । नवीन नाट्य प्रयोग की दृष्टि से उनके लिखे गए दो नाटक "भारत दुर्दशा" और "अंधेर नगरी" उल्लेखनीय हैं । भारतेंदु केवल हिंदी नाटकों के ही जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में भी सिद्धान्तनिष्ठ पत्रकारिता के युग का प्रवर्तन किया ।

भारतेंदु की सबसे बड़ी देन हिंदी गद्य निर्माता के रूप में थी । उन्होंने हिंदी गद्य को हिंदी साहित्य का रूप बनाया । वे मूलत: कवि थे । लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वह जितनी सशक्त व्रजभाषा की परंपरागत कृष्ण काव्यधारा की कविताएं लिखते थे, उतनी ही सशक्त हिंदी गद्य रचनाएं भी करते थे । हिंदी को विकसित करने के लिए भारतेंदु ने अनेक पुस्तकों का

अनुवाद किया और अनुवाद की आवश्यकता पर बल दिया । हिंदी प्रेम को उन्होंने राष्ट्र प्रेम से जोडकर देखा । मातृभाषा के विषय में उन्होंने कहा था -

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सूल ।

34 वर्ष की अल्पायु में **6** जनवरी, **1885** में उनका देहावसान हो गया ।

रचनाएं	
नाटक	विद्यासुंदर, वैद्की हिंसा-हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नीलदेवी, अंधेर नगरी, धनंजय विजय, मुद्राराक्षस, कर्पूर मंजरी, नीलदेवी, अंधेर नगरी चौपट राजा, रत्नावली ।
काव्य संग्रह	भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म्य, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, जैन कौतूहल, प्रेम फुलवाड़ी, सतसई-सिंगार, विनय-प्रेम-पचासा, वसन्त होली, विजयिनी-विजय-पताका आदि ।
उपन्यास और कहानी	रामलीला, हम्मीर हठ, राजसिंह , सुलोचना, शीलवती, सावित्री-चरित्र ।
इतिहास और पुरात्व	अग्रवालों की उत्पत्ति, दिल्ली दरबार दर्पण, कश्मीर-कुसुम, चरितावली ।
निबंध और आख्यान	मदालसोपाख्यान, स्वर्ग में विचार-सभा, पांचवां पैगम्बर ।
समाचार और पत्रिकाएं	कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन ।
स्त्री उपयोगी	बालबोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका ।

नारी

रीनु गुप्ता
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

तू आग है तू आस है
एक युग की शुरुआत है
बेफिक्र हो तू भर उड़ान
तेरे हौसलों में जान है ।
'क्या कहेंगे लोग' ना कर तू इसकी चिंता
ये समाज का एक पाश है
बेफिक्र हो तू भर उड़ान
तेरे हौसलों में जान है ।
तू साज है, श्रृंगार है
तू हाथ में तलवार है
तू सुर हैं तू ताल है
तू नगाड़े की नाद है
बेफिक्र हो तू भर उड़ान
तेरे हौसलों में जान है ।
तू स्वरा, तू धरा
तू ममता की छाँव है
'नारी' तू पूजनीय,
तू न्याय की पहचान है
बेफिक्र हो तू भर उड़ान
तेरे हौसलों में जान है ।।

लॉकडाउन

रोज़ अली
डेटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड-I)

आओ सुनाऊँ तुम्हें लॉकडाउन का फंडा
ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा ।

तो ये कहानी है उस समय की जब सारा जहान कोरोना वायरस नाम की बीमारी से जूझ रहा था और मैं अपने घर उत्तर प्रदेश से 2500 कि.मी. दूर केरल में सरकारी नौकरी कर रहा था । जनवरी का महीना था जब मैं अपने घर गया था । वापस आने पर एक मुझे मलयालम पेपर पास करना था अपने 'परीवीक्षा घोषणा' अर्थात् प्रोबेशन डिक्लरेशन के लिए ।

महीना था फरवरी का, जिसमें एक परिचय-पत्र (सर्कुलर) आया कि हमारी मलयालम ट्रेनिंग आरंभ हो रही है । हम चार लोग थे मलयालम ट्रेनिंग में ।

सब कुछ शामिल था, ट्रेनिंग भी नियत समय पर चल/संचालित हो रही थी । यह एक सुकून का पल था कि प्रोबेशन डिक्लेयर हो जाने के बाद डिपार्टमेंटल पेपर पास करके हम अपने-अपने घर को जा सकते थे । पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था । अब इसे भगवान की मर्जी कही जाए या प्रकृति हर शताब्दी में जो प्रकोप लाती है, ये कहें क्योंकि वर्ष चल रहा है 2020, इससे पहले भी 1720,1820,1920 में महामारी फैलने से तबाही हुई थी । तो साल था 2020 का । प्रकृति भी अपने आप को दोहराने पर आ गई और खबर आई की चीन में कोरोना वायरस नाम का वायरस, जो कि हींकने, छूने या खांसने से भी फैल रहा है ।

तो हुआ कुछ यूँ कि देखते ही देखते इस वायरस ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया । चूँकि यह एक नया वायरस था इसलिए इसकी वैक्सीन भी नहीं थी । तो इस वजह से लोगों में डर का माहौल कुछ ज्यादा था ।

मैं भी केरल में नौकरी कर रहा था । शुरुआती दिनों में अपने देश में स्थिति चिंताजनक नहीं थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यह तो दूसरे देश में है अपने देश में कुछ नहीं है । पर कुछ ही महीने में अपने देश में भी इस वायरस की दस्तक होगी । इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया ।

अब जनता घर में बैठे-बैठे परेशान होने लगी, न खाने का राशन बच रहा , न जरूरत की वस्तुएँ मिल पा रही है । मैं भी अपने फ्लैट में बंद हो गया था । न कहीं आना न कहीं जाना । मजेदार बात यह थी नॉर्मल दिनों में मैं बाहर का खाना खाता था पर जब से लॉकडाउन लगा तो मैंने भी अपनी रसोई को साफ किया । सारा जरूरत का सामान इकट्ठा किया और खाना बनाना शुरु किया । क्योंकि ऑफिस भी बंद हो गए थे, मलयालम ट्रेनिंग भी बंद हो गई थी । तो इस वजह से एक टेंशन हो गई कि अगर समय पर मलयालम पेपर पास न हुआ तो डिपार्टमेंट वाला पेपर नहीं दे पाऊँगा जिसमे अपने घर जाने में और वक्त लगेगा । पर जब लगा कि अभी लॉकडाउन कई महीने और चल सकता है तो मैंने डिपार्टमेंट वाले पेपर पढना शुरु कर दिया क्योंकि मलयालम पढना,समझना, लिखना थोड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए । पर उतने दिनों से घर पर रहते-रहते आलस आने लगा था । पढ़ाई में मन कम, मोबाईल चलाने में वक्त ज़्यादा गुण से लगा । फिल्में देखना, चैटिंग करना बस दिन भर यही काम था । पर एक दिन तुर्कि का एक सीरियल बहुत मशहूर होने लगा था तो मैंने भी देखना शुरू किया । और देखते-देखते उसकी ऐसी लत लगी कि उसके अलावा सबकुछ भूल गया ।

फिर मई का महीना या, लॉकडाउन अपने चरम पर था । रमज़ान का महीना था मैंने तो अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और इबादत में वक्त गुजरने लगा । देखते-देखते रमज़ान का महीना भी गुज़र गया और दिन आया 'ईद' का । जब अपने घर पर होता था तो ईद के दिन बहुत मस्ती होती थी । ढेर सारी सेवईयाँ, तरह-तरह की डिशेस/पकवान लोगों का ईद मिलने पर आना, बहुत अच्छा लगाता था, पर इस बार की ईद सन्नाटे में गुज़री, न कोई पास था, न कोई बडिया पकवान था, न कहीं घूमने जा सकते थे,न किसी से मिलने जा सकते थे । बस रूम पर रहकर नमाज़ पढ़ ली और मेरी ईद हो गई । उस दिन अपनी पुरानी ईद याद कर करके बहुत रोया था । पर स्थिति ऐसी थी कि कुछ कर भी नहीं सकता था । पर फिर अपने दिल को समझाया मैंने कि चलो कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा । मुझे थ्री ईडियट फिल्म का एक डायलोग याद आ गया जब अमीरखान अपने देस्त को समझाते हैं कि - "ये दिल ना बहुत

डरपोक होता है । इससे कहो कि - ALL IS WELL और उसको बेवकूफ बनाओ की सब सही है ।" पर कहा जाता है ना कि अगर कोई काम विश्वास के साथ करो तो वह काम पूरा होता है । तब जाकर कुछ सुकून मिला और मैने फिर से पढ़ना शुरु कर दिया ।

कुछ दिनों बाद सरकार का आदेश आया कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन खोला जा रहा है । तो कुछ उम्मीद जगी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा । पर शायद भगवान/प्रकृति भी मजे लेने के फुल मूड में थी । वो हा कुछ यूँ कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लगा तो सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया । उस वक्त मेरी ऐसी स्थिति होगी जैसे बोला जाता है न कि- "दिमाग का दही हो गया" । मेरा पढ़ने से फिर मन हट गया ।

कुछ महीने बीते और बकरीद आई । उस दिन भी मेरी स्थिति इससे पहले वाली ईद के जैसी थी । मैं उस दिन भी बहुत रोया । पर आखिरकार वो वक्त आया जब ऑफिस खुल गए थे । हमारी मलयालम ट्रेनिंग भी शुरु हो गई । पेपर भी हो गया और मैं पास भी हो गया । अब मेरा पूरा ध्यान डिपार्टमेंट वाले पेपर में था । कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन भी आया और मेरा डिपार्टमेंट वाले पेपर का प्रिलिम्स पेपर भी हो गया । अब मैं मेन्स की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ ।

(हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत)

लॉकडाउन

शांति के
सहायक लेखा अधिकारी

अपने घर की बॉलकनी में खड़ा राजू आकाश की ओर देख रहा था । उसे लगा तारे चमकते-चमकते कुछ गुनगुना रहे हैं । राजू को गाना गाने का बहुत शौक था । स्कूल में उसको बहुत पुरस्कार भी मिले थे । दोस्त और अध्यापक दोनों उसे प्रोत्साहित करते थे । उस पर सबको गर्व था । राजू का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि दुनिया जानने वाला एक प्रसिद्ध गायक बने । वह पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था । उसके माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर एक बड़ा इंजीनियर बने और खूब कमा लें । लेकिन राजू का सपना कुछ और ही था । मजबूर करके राजू को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल किया । तभी कोरोना वायरस नामक महामारी देश भर में फैलने लगी । स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान सब बंद करके लॉकडाउन की घोषणा हुई । कॉलेज बंद होने पर राजू ने घर बैठे-बैठे गायन का अध्ययन किया और धीरे-धीरे संगीत में प्रवीणता प्राप्त की । फेसबुक और इन्स्टाग्राम में राजू के गाने वायरल हुए । कुछ ही दिनों में उनका गाना चाहने वालों की संख्या बढ़ गई और वह प्रसिद्ध हो गया । राजू के माता-पिता भी उसके जीवन की इस बदलाव से खुश थे । राजू चाहता था कि वह संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली जाए, जिससे वह संगीत की ऊँची स्तर तक पहुँचे और अपनी मनोकामना पूरी करे । राजू की यह इच्छा देखकर माता-पिता ने भी राजी होकर उसे प्रोत्साहन दिया । कडी

मेहनत और दृढ़ता से वह अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था । राजू के जीवन में लॉकडाउन से अपना हुनर बाहर निकालकर उसे विकसित करने का अवसर मिला । इसी प्रकार ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें लॉकडाउन के समय का फायदा उठाकर अपनी अभिरुचि के विकास करने का अवसर मिला । लॉकडाउन के इस अवसर पर हम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे हुनर को दुनिया के सामने ला सकते हैं और ऐसे कई राजुओं का जन्म होगा जो स्वतंत्र होकर अपना पंख फैला सके ।

(हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत)

"राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है" - ***महात्मा गांधी***
"मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता " - ***आचार्य विनोबा भावे***
"जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता" - ***डॉ. राजेंद्र प्रसाद***
"हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपी है" - ***राहुल सांकृत्यायन***
"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है" - ***सुमित्रानंदन पंत***
"सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है, तो वो देवनागरी ही हो सकती है" - ***जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर***
"हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता" - ***पंडित गोविंद बल्लभ पंत***
"हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी" - ***सी राजगोपालाचारी***
"प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती" - ***सुभाषचंद्र बोस***

हिंदी शिक्षण योजना – एक परिचय

- संवैधानिक उपबंधों संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया।
- राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं।
- सन 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया।
- सन 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया ।
- सन 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया ।
- हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन

(वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि)

1. वैयक्तिक वेतन - हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का.ज्ञा.सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[का.ज्ञा.सं.12014/2/76-रा.भा.(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है ।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[का.ज्ञा.सं. 12014/2/76-रा.भा.(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)
तथा का.ज्ञा.सं. 12014/1/78-रा.भा.(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

[का.ज्ञा.सं. 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)]
तथा (का.ज्ञा.सं.-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- **(i)** अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो

वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का.ज्ञा.सं.12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का.ज्ञा.सं.21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी : जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2. नकद पुरस्कार- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	400/-

(2) प्रवीण

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	600/-

(3) प्राज्ञ

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(4) पारंगत

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	10000/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	7000/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	4000/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा	1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	3000/-

(का.ज्ञा.सं. 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी :

- जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे ।
- एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी ।

(का.ज्ञा.सं. 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. पत्र सं 14013/01/2020-रा.भा. (नीति) दिनांक : 17 सितंबर, 2020

आदरणीय महोदय,

विषय : <u>सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश</u>।

हिंदी मास / पखवाड़े / दिवस के पुनीत अवसर पर मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से पुन: आपको और आपके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं असीम शुभकामनाएं देता हूं।

2. अनेक महत्वपूर्ण मंचों एवं शीर्ष स्तर की बैठकों में बार-बार राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज में सरल, सुबोध और स्वाभाविक रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में **कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें**, जिसे राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 20017/02/2018-रा.भा. (नीति)- पार्ट 15 दिनांक 03.10.2018 द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया था।

3. **केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को उल्लिखित करना उचित होगा –**

मद सं. 14.5 - सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करें।

मद सं. 14.6 - दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें।

मद सं. 14.7 - दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ें।

मद सं. 14.9 - सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक है। कई बार अनुवाद कठिन भाषा में किया जाता है। इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए और अनुवाद की भाषा सरल सुनिश्चित करनी चाहिए।

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

मद सं. 14.12 - देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है, उसके उपाय किए जाएं|

4. कामकाज की भाषा में अत्यंत क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसका मानसिक प्रतिरोध बढ़ता है| बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा| सामान्यत: यह देखा गया है कि जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद कर प्रस्तुत किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है| अत: सरकारी कामकाज को हिंदी में मूल रूप से करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करने की महती आवश्यकता है| मूल रूप से मसौदा तैयार करते समय उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाए जाएं ताकि हिंदी आम जन के लिए आसानी से समझ में आने वाली भाषा बन सके|

5. **हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना प्रासंगिक होगा :**

(i) का.ज्ञा. सं II/13034/23/75- रा.भा. (ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है| यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है| जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है|

(ii) शासकीय पत्र सं 1/14013/04/99-रा.भा. (नीति) दिनांक 30.06.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक, पठनीय और बोधगम्य होनी चाहिए| इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे|

(iii) का. ज्ञा. सं. 1/14011/04/2010- रा. भा. (नीति-1) दिनांक 19.07.2010

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें| अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए|

(iv) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक 26.09.2011

इस शासकीय पत्र में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश दिए गए थे| सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रयोगकर्ता की हैसियत से, वे जिन शब्दों को हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे|

(v) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक 11.08.2016

इस शासकीय पत्र में केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी की सरलता, सहजता, सुगमता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करने और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोरित किया गया है|

6. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब **अनुच्छेद 343** के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के **अनुच्छेद 351** में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि " संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके|" इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए|

7. अंततः मैं आप से पुनः अनुरोध ही नहीं, आग्रह करूंगा कि सरल हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं जिससे आपके अधिकारी /कर्मचारी सहज हिंदी में मूल लेखन- टिप्पणियां, मसौदे, पत्राचार इत्यादि करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हों|

8. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संविधान द्वारा राजभाषा संबंधी दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप सभी सरल हिंदी का उत्तरोत्तर ही नहीं, अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करेंगे| इससे राष्ट्र के विकास की गति तेज होगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जन को प्राप्त होगा| इस प्रकार हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, नवीन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे|

जय राजभाषा! जय हिंद!

शुभेच्छु,

सुमीत जैरथ
17/09/2020
(डॉ. सुमीत जैरथ)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>

01.10.2020 से 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	रोसिली वी ए	सहायक लेखा अधिकारी	31.10.2020
2.	सत्याप्रिया विद्याधरन के	सहायक लेखा अधिकारी	31.10.2020
3.	ऐपु के पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.10.2020
4.	वनजा देवी बी	पर्यवेक्षक	31.10.2020
5.	कुट्टप्पन एन	लेखाकार	31.10.2020
6.	मैथ्यु कुरुविला	वरिष्ठ लेखाकार	30.11.2020
7.	वर्गीस कुर्यन	वरिष्ठ लेखाकार	30.11.2020
8.	सीता लक्ष्मी एम	वरिष्ठ लेखाकार	30.11.2020
9.	रामचंद्रन नायर. सी (नं.2)	सहायक लेखा अधिकारी	30.11.2020
10.	राजु सी पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.12.2020
11.	शशि कुमार एम (नं.2)	वरिष्ठ लेखाकार	31.12.2020
12.	शारदा के वी	सहायक लेखा अधिकारी	31.12.2020
13.	प्रताप चंद्रन वी	वरिष्ठ लेखाकार	31.12.2020
14.	प्रभाकरन सी	सहायक लेखा अधिकारी	31.12.2020
15.	जॉण के एस	वरिष्ठ लेखाकार	31.12.2020
16.	संजीव ए सी	वरिष्ठ लेखाकार	31.01.2021
17.	वेणुगोपालन एम	पर्यवेक्षक	31.01.2021
18.	शाली एन	वरिष्ठ लेखाकार	31.01.2021
19.	रामचंद्रन ए ए	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2021
20.	कृष्णकुमार एम (नं.2)	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2021

21.	लता के वार्यर	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2021
22.	तोमस सी ए	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2021
23.	अनिल कुमार कन्नोत वीटू	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2021
24.	मजीद सी ए	वरिष्ठ लेखाकार	31.01.2021
25.	जॉर्ज पी के	वरिष्ठ लेखाकार	28.02.2021
26.	नटराजन वी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	28.02.2021
27.	प्रमोदन के	सहायक लेखा अधिकारी	28.02.2021
28.	एनी तोमस	सहायक लेखा अधिकारी	28.02.2021
29.	विश्वंभरन सी के	पर्यवेक्षक	28.02.2021
30.	शशांकन नायर के	सहायक लेखा अधिकारी	28.02.2021
31.	मोहम्मद राफी यू	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2021
32.	मुरलीधरन के एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2021
33.	जोस तोमस	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021
34.	हरिहरा ऐयर टी एस	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2021
35.	प्रेमराजन के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2021
36.	मैथ्यु गर्वासिस	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021
37.	पौलोस पी एस	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021
38.	इंदिरा सी आर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.03.2021
39.	विजयकुमारन पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2021
40.	वल्सला कुमारी के पी	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021
41.	दयानंदन एन	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2021
42.	पद्मिनी पी	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021
43.	जयपाल पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2021
44.	जोस वी जोसफ	वरिष्ठ लेखाकार	31.03.2021

आपकी प्रतिक्रिया ......

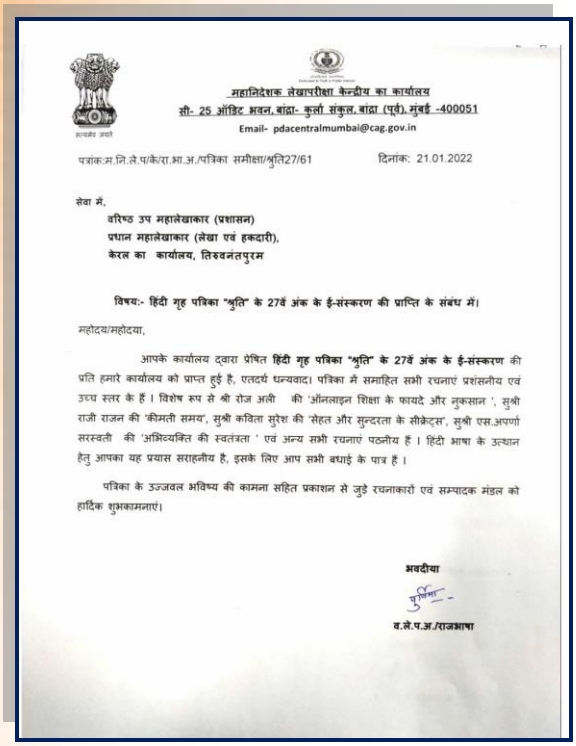

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय का कार्यालय
सी- 25 ऑडिट भवन, बांद्रा- कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400051
Email- pdacentralmumbai@cag.gov.in

पत्रांक:म.नि.ले.प/कें/रा.भा.अ./पत्रिका समीक्षा/श्रुति27/61 दिनांक: 21.01.2022

सेवा में,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

विषय:- हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक के ई-संस्करण की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित **हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक के ई-संस्करण** की प्रति हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई है, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं प्रशंसनीय एवं उच्च स्तर के हैं । विशेष रूप से श्री रोज अली की 'ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान ', सुश्री राजी राजन की 'कीमती समय', सुश्री कविता सुरेश की 'सेहत और सुन्दरता के सीक्रेट्स', सुश्री एस.अपर्णा सरस्वती की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ' एवं अन्य सभी रचनाएं पठनीय हैं । हिंदी भाषा के उत्थान हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं ।

पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना सहित प्रकाशन से जुड़े रचनाकारों एवं सम्पादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया
पूर्णिमा
व.ले.प.अ./राजभाषा

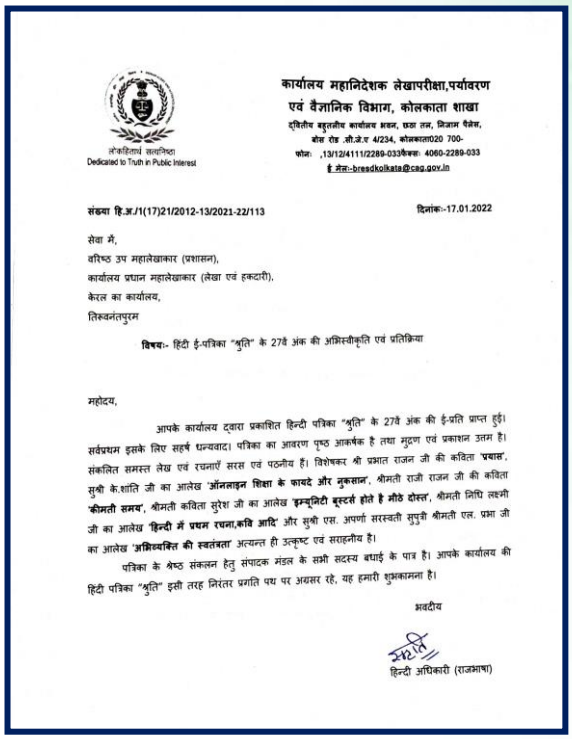

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा
द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निजाम पैलेस,
बोस रोड .सी.जे.ए 4/234, कोलकाता020 700-
फोनः ,13/12/4111/2289-033फैक्सः 4060-2289-033
ई मेलः-bresdkolkata@cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या हि.अ./1(17)21/2012-13/2021-22/113 **दिनांकः-17.01.2022**

सेवा में,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम

विषयः- हिंदी ई-पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक की अभिस्वीकृति एवं प्रतिक्रिया

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सर्वप्रथम इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है तथा मुद्रण एवं प्रकाशन उत्तम है। संकलित समस्त लेख एवं रचनाएँ सरस एवं पठनीय हैं। विशेषकर श्री प्रभात राजन जी की कविता **'प्रयास'**, सुश्री के.शांति जी का आलेख **'ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान'**, श्रीमती राजी राजन जी की कविता **'कीमती समय'**, श्रीमती कविता सुरेश जी का आलेख **'इम्यूनिटी बूस्टर्स होते है मीठे दोस्त'**, श्रीमती निधि लक्ष्मी जी का आलेख **'हिन्दी में प्रथम रचना,कवि आदि'** और सुश्री एस. अपर्णा सरस्वती सुपुत्री श्रीमती एल. प्रभा जी का आलेख **'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'** अत्यन्त ही उत्कृष्ट एवं सराहनीय है।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल के सभी सदस्य बधाई के पात्र है। आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "श्रुति" इसी तरह निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, यह हमारी शुभकामना है।

भवदीय
स्मृति
हिन्दी अधिकारी (राजभाषा)

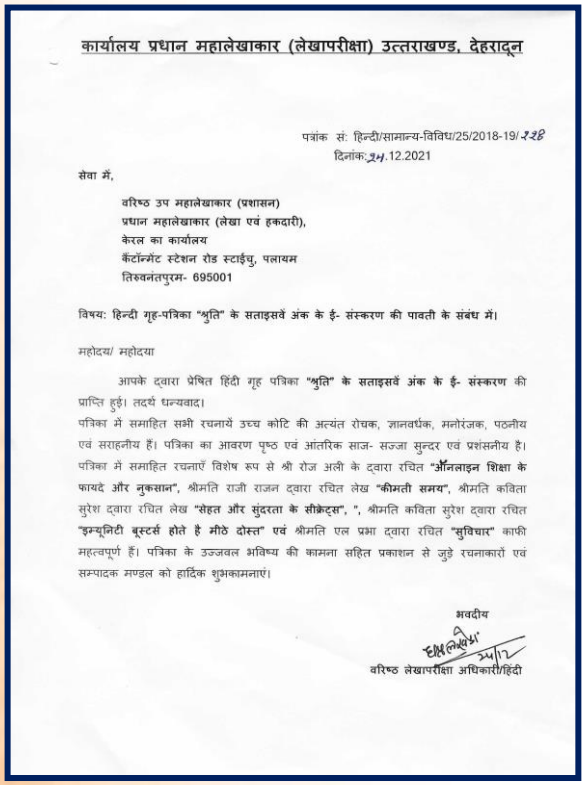

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक सं: हिन्दी/सामान्य-विविध/25/2018-19/228
दिनांक: 24.12.2021

सेवा में,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय
कैंटॉन्मेंट स्टेशन रोड स्टाईचु, पलायम
तिरुवनंतपुरम- 695001

विषय: **हिन्दी गृह-पत्रिका "श्रुति" के सताइसवें अंक के ई- संस्करण की पावती के संबंध में।**

महोदय/ महोदया

आपके द्वारा प्रेषित हिंदी गृह पत्रिका **"श्रुति" के सताइसवें अंक के ई- संस्करण** की प्राप्ति हुई। तदर्थ धन्यवाद।
पत्रिका में समाहित सभी रचनायें उच्च कोटि की अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक, पठनीय एवं सराहनीय हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज- सज्जा सुन्दर एवं प्रशंसनीय है। पत्रिका में समाहित रचनाएँ विशेष रूप से श्री रोज अली के द्वारा रचित **"ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान"**, श्रीमति राजी राजन द्वारा रचित लेख **"कीमती समय"**, श्रीमति कविता सुरेश द्वारा रचित लेख **"सेहत और सुंदरता के सीक्रेट्स"**, ", श्रीमति कविता सुरेश द्वारा रचित **"इम्यूनिटी बूस्टर्स होते है मीठे दोस्त" एवं** श्रीमति एल प्रभा द्वारा रचित **"सुविचार"** काफी महत्वपूर्ण हैं। पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना सहित प्रकाशन से जुड़े रचनाकारों एवं सम्पादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय
24/12
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

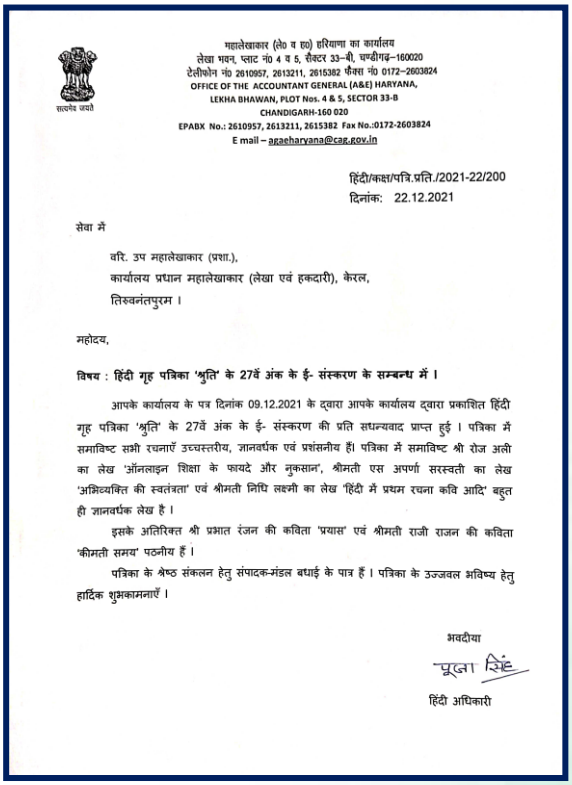

महालेखाकार (ले० व ह०) हरियाणा का कार्यालय
लेखा भवन, प्लाट नं0 4 व 5, सैक्टर 33–बी, चण्डीगढ़–160020
टैलीफोन नं0 2610957, 2613211, 2615382 फैक्स नं0 0172–2603824
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) HARYANA,
LEKHA BHAWAN, PLOT Nos. 4 & 5, SECTOR 33-B
CHANDIGARH-160 020
EPABX No.: 2610957, 2613211, 2615382 Fax No.:0172-2603824
E mail – agaeharyana@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

हिंदी/कक्ष/पत्रि.प्रति./2021-22/200
दिनांक: 22.12.2021

सेवा में
वरि. उप महालेखाकार (प्रशा.),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल,
तिरुवनंतपुरम ।

महोदय,

विषय : हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 27वें अंक के ई- संस्करण के सम्बन्ध में ।

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2021 के द्वारा आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 27वें अंक के ई- संस्करण की प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई । पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ उच्चस्तरीय, ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय हैं। पत्रिका में समाविष्ट श्री रोज अली का लेख 'ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान', श्रीमती एस अपर्णा सरस्वती का लेख 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' एवं श्रीमती निधि लक्ष्मी का लेख 'हिंदी में प्रथम रचना कवि आदि' बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख है ।

इसके अतिरिक्त श्री प्रभात रंजन की कविता 'प्रयास' एवं श्रीमती राजी राजन की कविता 'कीमती समय' पठनीय हैं ।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक-मंडल बधाई के पात्र हैं । पत्रिका के उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भवदीया
पूजा सिंह
हिंदी अधिकारी

आपकी प्रतिक्रिया ......

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)
पश्चिम बंगाल
2, गवर्मेंट प्लेस (पश्चिम), ट्रेजरी बिल्डिंग्स,
कोलकाता – 700 001

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
WEST BENGAL
2, GOVT. PLACE (WEST), TREASURY BUILDINGS,
KOLKATA-700 001
Ph. (033) 2213-3151/52, Fax (033) 2213-3174
e-mail : agauwestbengal1@cag.gov.in

संख्या: हिन्दी कक्ष/हिन्दी पत्रिका/पावती/264
दिनांक: 22.12.2021

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/हिन्दी
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम

विषय : कार्यालयीन हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक की पावती।

महोदय/महोदया,

पत्र क्रमांक:हिंदी कक्ष/हि.गृ.प./श्रुति/2021-22, दिनांक: 09.12.2021 के तहत् आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक की ई-प्रति ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई। साधुवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आन्तरिक साज - सज्जा सुन्दर एवं प्रशंसनीय है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं पठणीय एवं प्रेरणादायक है। आपके कार्यालय द्वारा प्रथम प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आपका कार्यालय के "ग" क्षेत्र में होते हुए भी हिन्दी के प्रति सहभागिता अत्यंत ही सराहनीय है।

पत्रिका के उज्जवल भविष्य तथा आगामी अंकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

भवदीय,

वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-राभाअ/ले.प.-I/एच-11011/के-196/प्रति क्रिया/2018-22 दिनाँक:-16/12/2021

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा व हकदारी),
केरल, तिरूवनंतपुरम-695001

विषय- हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27 वें अंक की प्रतिक्रिया का प्रेषण।

महोदय,

आपके कार्यालय दवारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "श्रुति" के 27 वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप है। पत्रिका में समाविष्ट

रचनाएँ समसामयिक विषयों पर आधारित होने के साथ ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक भी हैं। विशेषकर रोज अली और के. शांति का लेख "ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान", राजी राजन की कविता, "कीमती समय", एवं प्रभात रंजन की कविता, "प्रयास" विशेष रूप से प्रशंसनीय है। साज-सज्जा तथा उत्तम मुद्रण ने भी इस अंक को विशिष्ट बनाया है।

पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु सम्पादकीय परिवार को बधाई एवं इसकी **उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अनेकों शुभकामनाएँ ।**

भवदीय,
Sr.audit Officer
राजभाषा अनुभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, रांची

पत्रांक- हिन्दी प्रकोष्ठ/ले.प./2021-22/473 दिनांक **17.12.2021**

सेवा में
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ प्रशासन (हिन्दी)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय - हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक की ई-प्रति की प्राप्ति का प्रेषण।

महोदय,

आपके कार्यालय दवारा प्रेषित **हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 27वें अंक** की प्राप्ति हुई है | पत्रिका का आवरण पृष्ठ बड़ा ही आकर्षक बना है एवं पत्रिका में निहित सभी रचनाएँ अत्यंत ही उच्चतर श्रेणी की हैं |

पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भवदीय,
ह/-
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
हिंदी प्रकोष्ठ

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी

विषय : आपके दवारा प्रेषित हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के **27** वें अंक की पावती ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपके दवारा प्रेषित हिंदी गृह ई-पत्रिका "श्रुति" के **27** वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई । पत्रिका के सभी रचनाएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक है ।

आशा है पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी । पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं ।

भवदीया,
ह.
मौसमी चौधरी
हिंदी अधिकारी/हिंदी कक्ष

सोंधी सुगंध, मीठी सी भाषा
गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा

हिंदी

हिन्दी
हमारी शान है,
देश का
अभिमान है..

है जिस से देश की
शान
मेरी हिंदी महान

हिंदी

हिंदी

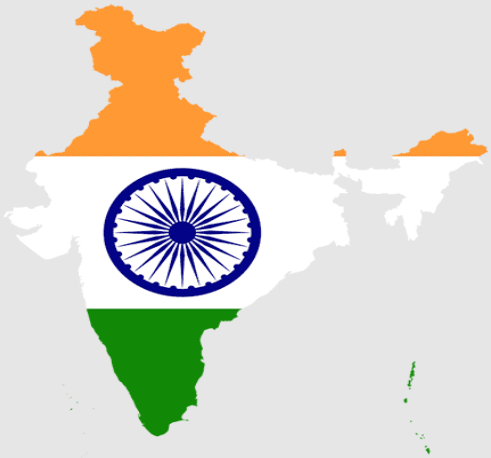

हिंदी है
मातृभाषा सभी
इसे जरूर
अपनाएँ,
अपने बच्चों को
हिंदी पढ़ना
जरूर सिखाएँ।

प्रकाशक

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल